Supplement—II

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 27-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 3, 2018 (ASADHA 12, 1940 SAKA)

General Review

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016–2017 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 25 जून, 2018

No. 197-98/Sts/362/26/2016-17.—

हरियाणा भारत देश का एक छोटा राज्य है जो कि 1 नवम्बर, 1966 को पंजाब के विभाजन पर बना था। यह देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसका भौगोलिक क्षेत्र 44,212 वर्ग किलोमीटर और कृषि योग्य क्षेत्रफल 3.9 मिलियन हैक्टेयर है। राज्य का उत्तरी हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पूर्व में यमुना नदी है। दक्षिण में दिल्ली व अरावली की पर्वत माला है और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। उत्तर पश्चिम में पंजाब की सीमा के साथ–साथ घग्गर नदी है। राज्य इन्डस बेसिन व गंगा के मध्य (घग्गर व यमुना नदी के मध्य) में है व इसकी स्थिति उत्तरी मैदानी क्षेत्र में लम्बाई में 74 डिग्री से 78 डिग्री पूर्व व कोणात्मक दृष्टि में 27 डिग्री से 31 डिग्री उत्तर में है।

वर्तमान में उपलब्ध पानी की 85 प्रतिशत मात्रा का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। राज्य में अधिकांश खाद्य सामग्री की फसलों को उगाया जाता है और उगाये गये अनाज की मात्रा भारतीय राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा 30–40 प्रतिशत अधिक है । सरकार सिंचाई व जल निकासी के कार्यों को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान करती है और इस क्षेत्र में साल 2016–17 के दौरान 2029.36 करोड़ रू खर्च किए हैं। तदानुसार राज्य के कृषि योग्य क्षेत्र के 75 प्रतिशत क्षेत्र को नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। सिंचाई क्षमता मात्र 76.79 प्रतिशत है जो कि सिंचाई प्रणाली के लिए पानी की सीमित उपलब्धता को दर्शाता है।

राज्य में सिंचाई उपलब्धताओं का विस्तार करने के लिए बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (मेजर एण्ड मिडियम इरिगेशन प्रोजैक्टस) को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2016–17 के दौरान हरियाणा के 23.04 लाख हैक्टेयर व दिल्ली के 0.11 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को नहरों द्वारा सिंचित किया गया।

नहरी व जल निकास नेटवर्क के चलाने व उसके रख रखाव के लिए हरियाणा सिंचाई विभाग जिम्मेवार है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है और जल मार्गों को पक्का करने व कमान क्षेत्र में विकास के अन्य कार्यों को करने के लिए कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) इस विभाग की सहायता करता है। इस विभाग को हरियाणा सिंचाई अनुसंधान प्रबन्धन संस्थान (हिरमी) प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र के रूप में सहायता करता है।

हरियाणा सिंचाई व जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं व उद्देश्य

हरियाणा सिंचाई व जल संसाधन विभाग, के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1. समृधि व स्थापना सम्बंधित मानव संसाधन के मामले–जैसा कि सभी अधिकारियों (वर्ग I व वर्ग II) और कर्मचारियों (वर्ग III व वर्ग IV) के मामले, जो विभाग में कार्यरत है ।
2. बाढ सुरक्षा, जल निकासी और जल भराव रोकने हेतू कार्य:–इनका निर्माण और रखरखाव ।
3. राज्य में सिंचाई योजनाएं और परियोजनाएं, बहूउद्देश्य नदी योजनाएं बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं और लघु सिंचाई योजनाएं ।
4. राज्य की नहरों का संचालन, रखरखाव व कार्यप्रणाली और पानी की आपूर्ति का नियंत्रण ।
5. नहर में उपलब्ध पानी की आपूर्ति का बराबर बंटवारा ।
6. सिंचाई राजस्व, सिंचाई की बुकिंग, सम्बंधित डी.सी. / तहसीलदार के सामने पानी का बिल प्रस्तुत करना ।
7. अंतर्देशिय जहाज अधिनियम 1917 (1917 का अधिनियम 1) से उत्पन्न मामलों को छोडकर शिपिंग और नेवीगेशन नहरों के कार्य ।
8. सतलुज यमुना लिंक नहर, अपर यमुना नदी बोर्ड, अन्तर्राज्यीय जल विवाद, दिल्ली जल आपूर्ति से संबन्धित अन्तर्राज्यीय मामले आदि–इत्यादि ।
9. हरियाणा राज्य के खालों के निर्माण/पुनर्निर्माण/फिर से बनाना ।
10. हरियाणा सिंचाई अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान से संबन्धित सभी कार्य ।
11. कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण से संबन्धित सभी मामले ।
12. सिंचाई परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण और भूमि मुआवजे के भुगतान मामले ।

सिंचाई विभाग हरियाणा द्वारा राज्य की जनता को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जा रही है:–

1 राज्य के किसानों को सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी की आपूर्ति करना ।

2 जन स्वास्थ्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लिए विभिन्न कार्यो में पीने के पानी व अन्य घरेलू उपयोग हेतु पानी की आपूर्ति करना ।

3 विभिन्न गांवों में पशुओं व मत्स्यपालन हेतु तालाबों को भरने के लिए पानी की आपूर्ति करना

4 राज्य के औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक इकाईयों को पानी की आपूर्ति करना ।

5 राज्य के विद्युत उत्पत्ति में सहायता प्रदान करने के लिए थर्मल पावर प्लांट को पानी की आपूर्ति करना ।

6 हरियाणा राज्य से गुजरने वाली विभिन्न नदियों व सहायक नदियों पर प्रशिक्षण कार्य को चालू रखना।

7 बाढ़ के दौरान जान माल की सुरक्षा हेतु बाढ़ के भय से लड़ना ।

8 अन्तर्राज्यीय समझौते के माध्यम से जल संसाधनों का प्रबन्ध व रख रखाव करना।

9 हरियाणा के नहरी नेटवर्क के माध्यम से हिस्सेदार राज्यों को प्राधिकृत आपूर्ति करना ।

10 जल उपभोक्ता संगठन (डब्ल्यू.ए) के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करना ।

11 जल संसाधन विषयों में नोडल विभाग के रूप में कार्य करना ।

वर्ष 2016–17 की उपलब्धियां

वर्ष 2016–17 की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:–

1 वर्ष 2015–16 के दौरान सिंचित 22.88 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र की तुलना में उपरोक्त वर्ष में 23.15 लाख हैक्टेयर (23.04 लाख हैक्टेयर हरियाणा व 0.11 लाख हैक्टेयर दिल्ली के) क्षेत्र को सिंचित किया गया।

2 उपरोक्त वर्ष नहरों के 27.11 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को पक्का किया गया।

3 कृषि, औद्योगिक, पीने के पानी व अन्य उद्देश्यों के लिए दिये गये पानी से 113.43 करोड़ रूपये का राजस्व एकत्रित किया गया।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग।

दिनांक 25 मई, 2018.

Review of the Annual Administrative Report of Haryana Irrigation & Water Resources Department, for the Year 2016-2017

The 25th June, 2018

No. 197-98/Sts/362/26/2016-17.—

Haryana a State of the Union of India was carved out of the composite State of Punjab on November 1st, 1966. It is situated in the North West of the country and covers a geographical area of 44,212 square kilometers and culturable area of 3.9 million hectares. The State in North is bounded by Shivalik range of mountains and in the East by River Yamuna. In South, it is surrounded with Delhi and Aravali range and Desert of Rajasthan is existing on South West. In North West, the River Ghaggar forms part of the boundary with Punjab State. Haryana State is falling under the basins of Indus and Ganges (between River Ghaggar and Yamuna) and is located in the Northern plain between longitude 74 degree to 78 degree East and Latitude 27 degree to 31 degree North.

Agriculture is the major water using sector utilizing about 85% of the available supplies. Yields of most of the major crops are high and average food grain yields are 30-40% higher than the Indian national average. This government places top most priority to improve Irrigation and Drainage system and a sum of Rs.2029.36 Crores incurred during 2016-17 for the same. Consequently, about 75% of the State's arable Lands are served by Irrigation canals. However, the Canal Irrigation intensity is about 76.79% reflecting to the limited availability of canal water supplies.

In the State, priority has been given to major and medium Irrigation projects to increase the irrigation facilities as a result of which 23.04 lakh hectares of land of Haryana and 0.11 Lakh hectares of land of Delhi area was irrigated during the year 2016-17.

Haryana Irrigation & Water Resources Department is primarily responsible for Operation & Maintenance of Canal and Drainage network besides looking after planning, design & construction of various Water Resource Projects. Department is supported by Command Area Development Authority (CADA) by taking up the construction of unlined water courses in addition to other command area Development activities. It is also supported by Haryana Irrigation Research Management Institute (HIRMI) which caters as a Training and Research Centre.

OBJECTIVES & FACILITIES PROVIDED BY HARYANA IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT

The broad objectives of Haryana Irrigation & Water Resources Deptt. are as under:-

1. Welfare and establishment matters of human resources i.e. all officers (Class-I, Class-II) and officials (Class-III & IV) working in the Department.
2. Flood Protection, Drainage and Anti Water logging works-- Construction and maintenance thereof.
3. Irrigation Schemes and Projects in the State, including Multipurpose River Schemes, Major, Medium and Minor Irrigation Schemes.
4. Running, Maintenance and Operation of canals in the State and monitoring of supplies thereof.
5. Equitable distribution of available canal supplies.
6. Irrigation Revenue, Irrigation booking, raising bills for canal water through respective DC/Tehsildars.
7. Shipping and Navigation of canals excluding matters arising out of the Inland Vessels Act, 1917 (Act 1 of 1917).
8. Inter-State matters related to SYL Canal, Upper Yamuna River Board, Inter-State Water Disputes, Delhi Water Supply etc.
9. Construction/Reconstruction/remodeling of water courses in the State.
10. Haryana Irrigation Research and Management Institute—All matters relating to.
11. Command Area Development Authority---All matters relating to.
12. Land acquisition and payment of land compensation for the purpose of Irrigation projects.

The following facilities are being provided by Haryana Irrigation & Water Resources Department to the public of State:

1. To supply raw water for irrigation purpose of farmers located in the State.
2. To supply raw water to various works of Public Health/Haryana Urban Development Authority for drinking purpose and other domestic use.
3. To supply raw water for Pond filling to various villages for drinking purpose of live stock.
4. To supply raw water to various industries for Industrial development of State.

5. To supply raw water to Thermal Power Plants for assistance in generation of Electricity in the State.
6. Upkeep of River Training works on various rivers and their tributaries passing through the State of Haryana.
7. To fight with flood furry for saving of lives and property.
8. To arrange and maintain water resources through interstate agreement.
9. To deliver authorized canal supply to the partner States through the Canals network of Haryana.
10. To train the farmers through Water User Association (WUA).
11. To act as nodal department in water resources matters.

ACHIEVEMENTS OF THE YEAR 2016-17

The major achievements during the year 2016-17 are as under:-

- ❖ 23.04 lakh Hectares of land of Haryana and 0.11 lakh Hectares land of Delhi (total 23.15 lakh hectares) has been Irrigated during the year as compared to 22.88 lakh hectares during 2015-16.
- ❖ 27.11 Lakh Sq. mtr. area of canals has been lined.
- ❖ Total revenue received during the year was Rs.113.43 crore on account of sale of water for Agricultural, Industrial, Drinking and other purpose.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Irrigation & Water Resources Department Chandigarh.

Dated: 25th May, 2018.

56354—C.S.—H.G.P., Chd.